निविदा प्रारूप

फ्लेक्स/बेनर/प्रिंटिग कार्य हेतु निविदा

क्र 530/भा.निर्वा./निविदा/वि.निर्वा./फ्लेक्स बैनर/2019 खण्डवा,दिनांक – 6.08.2020

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा (म.प्र.)

टेली: 0733–2226161

ई–मेल: deokhandwa01@gmail.com

बेवसाइट: www.khandwa.nic.in

मूल्य : 500/– (केवल पांच सौ रूपये)

ELECTION PRIORITY

Email

:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व निमाड़, खण्डवा ::

Phone 0733-2226161, E-mail-deokhandwa01@gmail.com

//निविदा सूचना//

क्रमांक–क/भा.निर्वा./निविदा/वि.स.नि./लेखन सामग्री/2020/ 530 खण्डवा, दिनांक 6/08/2020

विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के लिए प्रशिक्षण, नामांकन कार्यवाही, सामग्री वितरण एवं प्राप्ति केन्द्र, मतदान केन्द्र, मतगणना, एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यो के लिए लगने वाले फ्लेक्स/बेनर/प्रिंटिग कार्य किये जाने हेतु स्थानीय पंजीकृत तथा अनुभवी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थाओं से सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

विस्तृत निविदा दस्तावेज जिसका मूल्य राशि 500 (राशि पांच सौ मात्र,) है जिले की वेबसाईट **www.khandwa.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता हैं। भरी गई निविदा की पूर्णता कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक की प्रतिभूति राशि 10,000 (राशि दस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के साथ सील्ड लिफाफे में प्रस्तुत की जावेगी। निविदा दस्तावेज क्रय राशि 500/–(राशि पांच सौ मात्र,) चालान द्वारा मद संख्या 0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–02–निर्वाचन–800–अन्य प्राप्तियां में राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाकर चालान की मूल प्रति सील्ड लिफाफे में साथ में रखी जावें।

निविदा मय समस्त सहपत्रों के दिनांक 27.08.2020 अपरान्ह 12.00 बजे तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। निविदा दिनांक 27.08.2020 को अपरान्ह 03.00 बजे निविदा समिति एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारियां एवं निर्देश उपरोक्त वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

जि.नि.अधि. द्वारा अनुमोदित :–

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–खण्डवा

क्रमांक–क/सा.नि.शा./लेखा./2020 531 खण्डवा, दिनांक 6/08/2020

प्रतिलिपि :–

01. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर भेजते हुए लेख है कि कृपया विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
03. आयुक्त संभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ।
04. कलेक्टर............................समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
05. अनुविभागीय अधिकारी, खण्डवा,पुनासा,हरसूद,पंधाना की ओर सूचनार्थ।
06. तहसीलदार खण्डवा, पुनासा, हरसूद, पंधाना, खालवा की ओर बोर्ड पर चस्पा कर व्यापक प्रचार–प्रसार कराने हेतु।
07. जिला निर्वाचन कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
08. जिला नाजिर, कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु अग्रेषित।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–खंडवा

06/8/2020

फ्लैक्स बैनर प्रिंटिंग कार्य हेतु निविदा की शर्तें

01 विधानसभा उप निर्वाचन 2020 अंतर्गत लगने वाले फ्लैक्स बैनर प्रिंटिंग के लिए न्यूनतम दर निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रित है। उपरोक्तानुसार सफल निविदाकारों को पारित दरों पर विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अंतर्गत कार्य करना होगा।

02 प्रत्येक निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रूपये 10,000/– (दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी जो कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पक्ष में देय हो, संलग्न की जावें।

03 निविदा मोहर बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से फ्लैक्स बैनर प्रिंटिंग कार्य हेतु वार्षिक दर निर्धारण हेतु निविदा दरें लिखा हो, तथा निविदा जिला निर्वाचन अधिकारी खंडवा को संबोधित हो।

04 प्रथम लिफाफे में निविदा सामान्य जानकारी प्रपत्र–1, शर्तों की स्वीकृति (घोषणा पत्र) क्रय रसीद, फर्म के जीवित पंजीयन, पेन कार्ड, जीएसटी नम्बर आदि की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगी।

05 द्वितीय लिफाफे में निविदा दर अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखी होना चाहिये। यदि किसी निविदाकार द्वारा अंकों एवं शब्दों में दी गयी दरों में भिन्नता पाई गई तो उस अवस्था में कार्यालय द्वारा जो शासन के हित में होगा उसे मान्य किया जावेगा।

06 कार्यावधि के दौरान किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि देय नहीं होगी।

07 कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना/आपदा से होने वाले नुकसान का उत्तरदायित्व इस कार्यालय का न होकर संबंधित निविदाकार को वहन करना होगा।

08 प्रत्येक निविदाकार/फर्म द्वारा हर कार्य के लिये केवल एक ही निविदा प्रस्तुत की जा सकेगी।

09 आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी के आदेश होने पर निविदाकार को तत्काल सामग्री लगानी होगी।

10 निर्वाचन कार्य में लगने वाली सामग्री प्रदाय किये जाने में असमर्थता व्यक्त किये जाने पर संबंधित निविदाकार की सुरक्षा निधि की राशि राजसात कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये ब्लेक लिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा।

11 दरें स्वीकृत होने के पश्चात आवश्यकता पड़ने पर निविदाकार को किसी भी समय सामग्री प्रदाय करने के निर्देश दिये जा सकते है। निविदाकार सामग्रीयों को वांछित स्थान पर तुरंत प्रदाय करने के लिये बाध्य होगा। निविदाकार को ऐसी व्यवस्था करना होगी कि उसे 24 घंटे में किसी भी समय संपर्क किया जा सके।

12 प्रदाय की जाने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता की होना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में भुगतान नहीं किया जायेगा।

13 सफल निविदाकार को दरें स्वीकृति की सूचना इस कार्यालय द्वारा दी जावेगी। किसी भी निविदाकार द्वारा इस संबंध में कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का अनुचित संपर्क नहीं किया जायेगा। ऐसा पाये जाने की दशा में संबंधित निविदाकार को अयोग्य माना जायेगा।

14 सफल निविदाकार की न्यूनतम दरों पर आवश्यकतानुसार अन्य निविदाकारों से भी कार्य कराया जा सकता है।

15 सफल निविदाकार द्वारा समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं करने अथवा तत्समय निर्मित परिस्थितियों के अनुसार तात्कालिक आवश्यकता की दशा में स्थानीय बाजार से व्यवस्था की जायेगी। जिस पर होने वाली अधिक व्यय राशि निविदाकार को वहन करनी होगी।

16 निविदाकार द्वारा प्रदाय की जाने वाली समस्त सामग्रियो की सुरक्षा के लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सामग्री टूट–फूट होने पर तत्काल बदलना भी होगी।

17 निविदाकार के पास अपने कार्य संचालन हेतु सभी आवश्यक शासकीय अधिकारियों के सक्षम पंजीयन आवश्यक है।

18 निविदाकार को निविदा के साथ जीएसटी नम्बर तथा पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा ब्लेक लिस्टेड न होने विषयक नोटरी किया हुआ शपथ पत्र भी प्रस्तत करना होगा।

19 सामग्री में कमी या वृद्धि करने का पूर्ण अधिकार कार्यादेश जारी करने वाली संबंधित संस्था को होगा तथा देयकों का सत्यापन तथा भुगतान भी उसी संस्था द्वारा किया जायेगा जिसके द्वारा कार्यादेश दिया गया है। कार्यादेश के संबंध में पूर्ण अधिकार जारी करने वाली संस्था का होगा

20 उपरोक्तानुसार सामग्री हेतु आमंत्रित भाव पत्र निविदा किसी समय निरस्त करने अथवा पुनः भाव पत्र निविदा आमंत्रित करने का पूर्ण अधिकार इस कार्यालय के पास सुरक्षित होगा।

21 निविदा संबंधी शर्तें एवं अन्य जानकारी अधिकृत शासकीय वेबसाइट www.khandwa.nic.in पर अथवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।

22 शासकीय नियमानुसार समस्त प्रकार के कटोत्री की जायेगी। अन्य सभी करों का वहन संस्था द्वारा किया जायेगा।

23 समस्त सामग्री की देखभाल की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की रहेगी। प्रदाय सामग्री के संबंध में किसी भी चोरी/हानि/क्षति की स्थिति में कार्यादेश प्रदायकर्ता कार्यालय द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

24 निविदाकार द्वारा दी जाने वाली जानकारी का प्रपत्र संलग्न है। जिसमें जानकारी पूर्ण कर आवश्यक दस्तावेजों सहित निविदा के साथ संलग्न करना होगी।

25 जिस फर्म द्वारा पूर्णरूपेण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे वह निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगा। प्रथम प्राथमिकता उस फर्म को दी जावे जिसके द्वारा न्यूनतम दरें भरी गई है, उस फर्म के द्वारा असमर्थ होने की स्थिति में अन्य फर्म से कार्य लिया जा सकता है।

26 स्वीकृत दरें समस्त प्रकार कर सहित स्वीकृत की गई है। पृथक से कर देय नहीं होगा।

27 प्रदायकर्ता के पास वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिये एवं विभाग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

28 प्रदायकर्ता फर्म को सामग्री प्रदाय के दौरान ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक सामग्री चयनित सूची में अंकित किस्म तथा विवरण के अनुरूप होगी। यदि इसमें भिन्नता या घटिया किस्म की सामग्री प्रदाय किया जाना पाया गया तो प्रदायकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये कानूनी रूप से स्वतंत्र रहेगा।

29 प्रदायकर्ता फर्म से कार्यालय द्वारा मांग की गई वस्तुओं को प्रदाय करते समय कार्यालय तक पहुॅचाने का दायित्व प्रदायकर्ता इकाई का होगा जिसके लिये पृथक से कोई भाड़ा इत्यादि देय नहीं होगा।

30 देयकों की राशि का भुगतान करते समय नियमानुसार कर की राशि की कटौती राशि का भुगतान ई–भुगतान पद्धति से किया जावेगा, एवं आवंटन की उपलब्धता अनुसार ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

31 निर्धारित दरें नई दरें लागू होने तक मान्य होगी।

32 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम में कोई परिवर्तन संबंधी निर्णय लेने अथवा चुनाव कार्यक्रम में होन वाले किसी भी परिवर्तन के कारण निविदाकार संशोधित चुनाव कार्य क्रम अनुसार विहित (कान्ट्रेक्ट) दर से अपनी सेवा जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा। निविदाकार को देय सेवा शुल्क का निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा के द्वारा निवेदित दर को दृष्टिगत रखते हुए किया जावेगा, जो कि निविदा दाता को मान्य होगा।

33 वाद विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र खण्डवा रहेगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–खंडवा
6/8/2020

"भाग–2"

आवेदन पत्र

(फलैक्स/बेनर/प्रिटिंग आदि कार्य हेतु)

01. निविदाकार की फर्म का नाम :– ....

02 फर्म का प्रकार (स्वयं / भागीदारी / निदेशक) :– ....

03 फर्म के मालिक / प्रोपराईटर / निदेशक का विवरण :– ....

1. नाम : ....
2. पता : ....
3. मोबाईल नम्बरः ....
4. दूरभाष क्रमांक : ....
5. फैक्स नम्बर : ....
6. ईमेल का पताः ....

04 जमा की गई प्रतिभूति राशि का विवरणः बैंक ड्राफ्ट / बैंक गारंटी का क्रमांक :–..............................

दिनांक ....राशि.................................बैंक का नाम ....

05 पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता : :– ....

....

1. दूरभाष क्रमांक : ....
2. फैक्स नम्बर : ....
3. ईमेल का पता ....

06 स्थानीय शाखा का पूरा पता : :– ....

1. दूरभाष क्रमांक : ....
2. फैक्स नम्बर : ....
3. ईमेल का पता ....

07 फर्म के स्थानीय / क्षेत्रीय अधिकारी का विवरण – :– ....

7. नाम : ....
8. पता : ....
9. मोबाईल नम्बरः ....
10. दूरभाष क्रमांक : ....
11. फैक्स नम्बर : ....

....

12. ईमेल का पता:

08 निविदाकार के बैंक का विवरण : :– ....

बैंक का नाम : ....

शाखा का पता : ....

खाता क्रमांक : ....

आईएफएससी कोड : ....

09. पैन संख्या (17–18, 18–19, 19–20, का आयकर: :–
विवरणी 3 वर्ष का संलग्न करे):
(प्रमाणित प्रति संलग्न करें) ....

10. सेवा कर पंजीकरण/जीएसटी संख्या :–
(प्रमाणित प्रति संलग्न करें) ....

11. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो : :– ....
(प्रदान की गई जगह अपर्याप्त हो, तो अलग पृष्ठ संलग्न करें)

12. निम्नलिखित प्रारूप में पिछले तीन वर्षो के दौरान यदि कोई भी निविदाकार द्वारा उपरोक्तानुसार कार्य किया गया हो तो ऐसे अनुबंधों का ब्योरा दें (यदि प्रदान की गई जगह अपर्याप्त हैं, तो एक अलग पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है) :

स.क्र	संबंधित संस्थाओं का नाम/पता/दूरभाष/मो0/ई–मेल का पता	प्रदाय की गई सामग्री का संक्षिप्त विवरण	अनुबंध की कुल राशि (लाख/करोड)	कार्य की कुल अवधि	रिमार्क	कार्यादेश/भुगतान आदेश की प्रति संलग्न करें।

दिनांक : –
स्थान :–

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नामः–

सीलः–

"घोषणा"

1- मैं..पिता/पति..
उपरोक्त वर्णित फर्म का मालिक/ प्रोपराइटर/निदेशक, हस्ताक्षरकर्ता इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने और इस निविदा दस्तावेज को निष्पादित करने में सक्षम हूँ।

2- मैंने निविदा के सभी नियमों और शर्तो को सावधानी से पढ और समक्ष लिया है और मुझे उनका पालन करने में कोई आपत्ति नहीं हैं।

3- उपर्युक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत कि गई जानकारी/ दस्तावेज मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और प्रमाणित है मैं/हम इस तथ्य से अच्छी तरह से अवगत है कि किसी भी झूठी सूचना/निर्मित दस्तावेज को प्रस्तुत करने पर फर्म तथा मेरे विरूध्द सक्षम कानून के तहत अभियोजन स्थापित किया जा सकता है तथा किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा को एक पक्षीय रूप से अस्वीकार/निरस्त किया जा सकता है तथा मेरे द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकती है।

स्थान ....

दिनांक....................................

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

सील

अनुबंध (प्रारूप)

यह अनुबंध दिनांक ....को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला खण्डवा (म.प्र.) जिसे आगे इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए प्रथम पक्ष कहा गया है एवं मेसर्स ....जिसे आगे इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए द्वितीय पक्ष कहा गया है के मध्य संपादित किया जाता है अत: प्रथम पक्ष द्वारा चाहे जाने पर द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को तय निविदा शर्तो एवं नियमों के अधिन समस्त सामग्री उपलब्ध कराने हेतु सहमत हैं।

अत: यह अनुबंध दोनो पक्षों के मध्य निम्नानुसार शर्तो के अधीन संपादित किया जाता है।

1- सामग्री की आवश्यक संख्या में उपलब्धता की व्यवस्था द्वतीय पक्ष के द्वारा की जावेगी।

2- निविदाकार का यह उत्तरदायित्व होगा की वह शासकीय कार्य करते समय कार्य की गोपनीयता को बनाये रखे अत: द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता हेतु स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

3- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला खण्डवा द्वारा नियत किये गये कार्यो के संबंध में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों के परीक्षण उपरांत स्वीकृति योग्य पाई गई राशि में से नियमानुसार आंशिक राशि का भुगतान आवंटन की उपलब्धता अनुसार किया जावेगा।

4- द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

5- समय पर सामग्री प्रदाय न होने पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा तत्काल की जायेगी। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर 500/- रूपये प्रतिदिन पेनाल्टी लगायी जायेगी। जो द्वितीय पक्ष को भुगतान योग्य राशि में से समायोजित की जायेगी।

6- प्रथम पक्ष किसी भी समय बिना किसी सूचना के तथा बिना कोई कारण बताये अनुबंध को निरस्त करने का तथा अन्य संस्था को कार्य हेतु आदेशित करने के लिए स्वतंत्र हैं जिसके संबंध में द्वितीय पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार के पत्राचार का जवाब अथवा सूचना देने की बाध्यता प्रथम पक्ष की नहीं होगी।

7- निविदा नियम एवं शर्तो के अनुसार स्वीकृत की जाने वाली दर प्रतिदिन (24 घण्टे) हेतु है। अत: द्वीतीय पक्ष को उस अनुसार ही सामग्री रखे जाना आवश्यक होंगी।

8- स्वीकृत की गई दर समस्त करों सहित होगी। अत: जीएसटी/सीजीएसटी एवं आयकर से संबंधित तथा अन्य शासकीय करों के कटोत्रे नियमानुसार देयक राशि में से किये जावेंगे।

9- ऐसा कोई बिन्दु जो कि उपरोक्त बिन्दुओं में शामिल नहीं है पर उभय - पक्ष निर्णय ले सकेंगे।

10- समस्त प्रकार के विवादों हेतु न्याय क्षेत्र खण्डवा रहेगा।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला खण्डवा

निविदाकार के हस्ताक्षर